AGRA POLICE

"सुरक्षा आपकी, संकल्प हमारा"

प्रेसनोट थाना सिकन्दरा जनपद आगरा। 30.10.2021

थाना सिकन्दरा पुलिस टीम द्वारा टोयोटा मैनेजर हत्या की घटना का सफल अनावरण करते हुए कुल 02 अभियुक्तगण को किया गया गिरफ्तार, कब्जे से अवैध तमन्चा मय कारतूस आदि बरामद...

दिनांक 22.10.2021 को वादी सुरजीत खरे पुत्र ओमप्रकाश खरे नि0 मोती कटरा थाना एमएम गेट द्वारा थाना सिकन्दरा में तहरीर दी गयी कि मेरा बड़ा भाई रंजीत खरे दिनांक 18.10.2021 को रोजाना की तरह मथुरा रोड स्थित सनी टोयोटा अपनी ड्यूटी पर गया था। जब रात्रि तक घर नहीं आया तो फोन द्वारा सम्पर्क किया। भाई द्वारा बताया गया कि मैं अभी सिकन्दरा पर हूं। जब रात्रि में नहीं आया तो दोबारा फोन करने पर स्विच ऑफ आ रहा था। दिनांक 19.10.2021 को हमारे जीजा द्वारा बताया गया कि मुरैना में एक शव बरामद हुआ है। जब हम लोग वहां गये तो देखा कि वह मेरे भाई रंजीत का शव है। किन्हीं अज्ञात अभियुक्तगण द्वारा रंजीत की हत्या कर शव को मुरैना में फेंक दिया था। इस सम्बन्ध में थाना पर मु0अ0सं0 710/21 धारा 302/201 भादवि पंजीकृत किया गया।

उपरोक्त घटना के सफल अनावरण हेतु श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद आगरा द्वारा टीमों का गठन करते हुए दिशा निर्देश दिये गये। इसी क्रम में दिनांक 29.10.2021 को गठित पुलिस टीम द्वारा अभियुक्तगण की तलाश/गिरफ्तारी हेतु सब्जी मण्डी सिकन्दरा पर चैकिंग की जा रही थी। चैकिंग के दौरान मुखबिर द्वारा सूचना दी गयी कि सनी टोयोटा के मैनेजर की हत्या से सम्बन्धित अभियुक्त अमन शर्मा व अर्जुन शर्मा टीएसएफ चौराहे पर कहीं जाने की फिराक में खड़े हुए हैं।

इस सूचना पर तत्काल कार्यवाही करते हुए पुलिस टीम बताये स्थान पर पहुंची। दूर से देखा दोनों अभियुक्तगण टीएसएफ मोड़ से आगे पंचर वाले की दुकान के पास खड़े हैं। पुलिस टीम को देख दोनों लोग भागने का प्रयास करने लगे। पुलिस टीम द्वारा चारों ओर से घेर कर एक बारगी दबिश देते हुए दोनों अभियुक्तगण को गिरफ्तार कर लिया गया। अभियुक्तगण के कब्जे से 01 अवैध तमन्चा मय 01 जिन्दा कारतूस 315 बोर, टोल पर्ची, चैक बुक पीएनबी (रंजीत खरे) बरामद हुआ। बरामदगी के सम्बन्ध में थाना सिकन्दरा पर मु0अ0सं0 731/21 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत किया गया।

पूछताछ का विवरण :-

पुलिस टीम द्वारा पूछताछ करने पर अपना नाम अर्जुन शर्मा व अमन शर्मा बताया गया। घटना के बारे में जानकारी करने पर बताया गया कि हम दोनों एक साथ पढ़ते थे और आपस में काफी अच्छे दोस्त हैं। दिनांक 18.10.2021 की रात हम दोनों ककरेठा रोड पर जा रहे थे, जहां देखा एक गाड़ी सड़क किनारे नाली में फंसी हुयी थी, जिसे एक व्यक्ति नशे में ड्राइविंग सीट पर बैठा निकालने का प्रयास कर रहा था। हमारे पूछने पर उसने हमसे गाड़ी निकालने के लिए मदद मांगी। हमारे द्वारा मदद करने पर उसने धन्यवाद किया और बताया गया कि मैं सनी टोयोटा में

मैनेजर हूं। इस पर हमें लगा इससे हमें काफी पैसा मिल सकता है और ये नशे में भी है। उसने बताया आज मैंने दोस्तों के साथ पार्टी की थी आज से तुम भी मेरे दोस्त हो। इस पर हमने कहा जब तुमने हमें दोस्त मान लिया है तो चलो मिलकर पार्टी करते हैं। रंजीत हम लोगों को गाड़ी में बैठाने लगा तो हमने कहा कि गाड़ी अर्जुन चला लेगा। बातों में लगाकर हम लोगों ने उसे बहुत अधिक शराब पिला दी। हम लोग रंजीत की गाड़ी को गुरूद्वारा से होते हुए कारगिल की तरफ चल दिये। गाड़ी में रंजीत ने अपना मोबाइल नं0 भी बताया। रंजीत के मोबाइल को हमने स्विच ऑफ कर दिया। अर्जुन गाड़ी को लेकर एनएच 2 से लेकर मथुरा रोड की तरफ चल दिया और रूनकता के पास फ्लाईओवर से उतरकर सुनसान स्थान पर ले जाकर उसकी तलाशी करने लगे तो रंजीत द्वारा विरोध किया गया। हमने व्हील पाना से उस पर कई बार किये जिससे उसकी मृत्यु हो गयी। रंजीत के पास से लगभग 04–05 हजार रूपये, पासबुक, चैकबुक, गाड़ी के कागज आदि कागजात मिले। चैकबुक को हमने कैश कराने के लिए अपने पास रख लिया बाकी कागज हमने झाड़ियों में फेंक दिये। हम लोग पुलिस की पकड़ में न आ जायें इसलिए शव को हमने वहां नहीं फेंका। शव को हमने डिग्गी में रखकर सुरक्षित स्थान की तलाश हेतु आगरा बाईपास पर धौलपुर–मुरैना की तरफ ले गये। हमने मुरैना से पहले सड़क किनारे एक पानी की टंकी के पास रात्रि में सुनसान स्थान देख वहां यह सोचकर फेंका कि दूसरा राज्य है और कोई इसके शव को नहीं पहचानेगा और हम लोग बच जायेंगे। वापस आने से पहले हमने गाड़ी का फास्टैग जानबूझकर हटा दिया तथा टोल पर गाड़ी का नम्बर गलत बताकर टोल पर्ची कटायी थी। वापस आकर हमने रंजीत की गाड़ी को आगरा फोर्ट स्टेशन के सामने खड़ा कर दिया था एवं गाड़ी की चाबी को भावना स्टेट के पास फेंक दिया था।

अपराध का तरीका :–

उपरोक्त अभियुक्त अर्जुन शर्मा इससे पूर्व भी हत्या की कई घटनाओं के आरोप में जेल जा चुका है, इसलिए कोई भी सुराग न मिले उसने रंजीत के मोबाइल सहित अपने दोनों मोबाइल भी स्विच ऑफ कर लिये थे एवं शव को दूसरे राज्य में फेंक कर आये थे।

➢ गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण :–

01. अर्जुन शर्मा उर्फ सीटू पुत्र विजय शर्मा नि0 शिवपुरी कालौनी निकट असोपा हॉस्पीटल थाना सिकन्दरा जनपद आगरा।
02. अमन शर्मा पुत्र कृष्ण मुरारी शर्मा नि0 रोशन विहार कालौनी थाना सिकन्दरा जनपद आगरा।

➢ बरामदगी का विवरण :–

01. 01 अवैध अवैध तमन्चा मय 01 जिन्दा कारतूस 315 बोर।
02. टोल पर्ची।
03. चैक बुक पीएनबी (रंजीत खरे की)।

➢ आपराधिक इतिहास :–

अभि0 अर्जुन

01. मु0अ0सं0 710/21 धारा 302/201 भादवि थाना सिकन्दरा जनपद आगरा।
02. मु0अ0सं0 731/21 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना सिकन्दरा जनपद आगरा।
03. मु0अ0सं0 19/20 धारा 323/380/386/504/506 भादवि थाना छत्ता जनपद आगरा।
04. मु0अ0सं0 862/2018 धारा 120बी/389 भादवि थाना न्यू आगरा जनपद आगरा।
05. मु0अ0सं0 1053/17 धारा 302/201 भादवि थाना सिकन्दरा जनपद आगरा।
06. मु0अ0सं0 20/19 धारा 302/201 भादवि थाना सिकन्दरा जनपद आगरा।

अभि0 अमन

01. मु0अ0सं0 710/21 धारा 302/201 भादवि थाना सिकन्दरा जनपद आगरा।

➢पुलिस टीम :–

01. प्रभारी निरीक्षक श्री विनोद कुमार मय टीम थाना सिकन्दरा जनपद आगरा।
02. उ0नि0 अजय कुमार सहप्रभारी स्वाट मय टीम जनपद आगरा।
03. उ0नि0 सचिन धामा सहप्रभारी सर्विलांस मय टीम जनपद आगरा।
04. उ0नि0 निशामक त्यागी थाना सिकन्दरा जनपद आगरा।
05. उ0नि0 राजीव पुण्ढीर थाना सिकन्दरा जनपद आगरा।

मीडिया सेल जनपद आगरा।